



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भारतनुं राजपत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY
असाधारण

भाग-8 खण्ड-1
PART VIII Section 1

भाग 8 विभाग-1

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकारसे प्रकाशित

नं.-1] नई दिल्ली, शनिवार 14 जनवरी, 1989/24 पौष, 1910, (शक) [खंड-6
No.-1] NEWDELHI, SATURDAY 14 JANUARY, 1989/24, PAUSH, 1910 (SAKA) [VOL.-6
अंक-1] नवी दिल्ली, शनिवार 14 जनवरी, 1989/24 पौष, 1910 (शक) [विद्युम-6

इस भागमें भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है, जिसकी यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it
may be filed as a separate compilation.

आ भागमें अलग पाना नंबर आपेव छे, जेथी ते अलग संग्रह तरीके क्षर्षव करी शकवे.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1989/24 पौष, 1910 (शक)

(1) दि मेडिसिनल एन्ड टोयलेट प्रिपेरेशन्स (एकसाइज्डयुटी) एक्ट, 1955 (सन 1955 का 16) (2) दि प्रोटेक्शन ओफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955 (सन 1955 का 22) और (3) दि सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 (सन 1960 का 21) के निम्न लिखित गुजराती अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं और प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (सन 1973 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अधीन ये गुजराती भाषा में उनके प्राधिकृत अनुवाद समझे जाएंगे।

(Price : Rs. 5-00)

